Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

मोहम्मद अलमास सौदागर बनाम जुगराज वगै0

अपील संख्या 133/2025 अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट GCMS NO

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 133/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.9.25	अपील श्री विनोद कुमार अग्रवाल अधिवक्ता ने पेश की। अपील बांद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन एवं धारा 96 सीपीसी तथा स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि विवादित आराजीयात मे से अपीलांट द्वारा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्लाटो के रूप मे क्रय की गई है। इस कारण विवादित आराजीयात मे अपीलांट का हक निहित प्रतीत होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात के बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। जिससे अपीलांट के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पडने का अंदेशा है। इस प्रकार अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश का अपास्त किया जावे। अपीलांट के उक्त कथन से हम सहमत है। चूकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश काफी पुराना है जो आज भी प्रभावी है। जबकि कानून अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का विवेचन किये जाने के उपरान्त नियत समयावधि मे किया जाना होता है। इस प्रकार अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है तथा अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के प्रकरण संख्या 35/22 उनवानी जुगराज वगै0 बनाम बाबूलाल वगै0 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 1.6.22 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता कि आपके न्यायालय मे विचाराधीन उनवानी प्रकरण मे अपीलांट को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दुओ का विवेचन करते हुए प्रकरण का अन्दर तीन माह मे अंतिम निस्तारण करे। अपीलांट को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र [illegible] निषेधाज्ञा का जबाब नियत दिनांक को प्रस्तुत करे। अपील [illegible] की जाती है। निर्णय सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:25:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner